

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

जगसीन अधिकारी :-स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

जख्क वाद संख्या :-018/2023

1. दारा सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  2. खुशप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  3. असरनदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  4. सोनू सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मलकीतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जगविन्द्रसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अग्रेज सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुरदतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गुरमीतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. बोड़ सिंह पुत्र जगमीतसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मनजीत कौर उर्फ महेन्द्र कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी मखनसिंह जाति जटसिख निवासी फताखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब।
9. चरणजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयां वाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. बलजिन्द्र कौर उर्फ बेअन्त कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी जगतारसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

जगसीन  
कलक्टर



11. छिन्द्रपाल कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री जगराज सिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिंह निवासी वार्ड नम्बर 03, उत्तमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 19.2.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री अरुण सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.2.2024 को स्वाति गुप्ता पखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

क. वादी संख्या 1 दारासिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.048 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 22/0.048 हैक्टर उत्तरी दिशा।

ख. वादी संख्या 2 खुशप्रीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दक्षिणी दिशा।

ग. वादी संख्या 3 अरसनदीप सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.093 हैक्टर उत्तर से जगविन्द्र की भूमि के नीचे।

घ. वादी संख्या 4 सोनूसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दारासिंह की भूमि उत्तर से नीचे।

ङ. प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 केएसपी के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 189/309(65) किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25/1/0.215, 25/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता।

च. प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, पत्थर नम्बर 191/311(9) किला नम्बर 16।

छ. प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 केएसपी के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 22/0.240 हैक्टर (उत्तर-पश्चिमी कोना में

0.013 हैक्टर छोड़कर, चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 3/1/0.203, 3/2/0.025, गैर मुमकिन रास्ता, 3/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 8, 19/0.093 हैक्टर उत्तरी दिशा, किला नम्बर 21।

ज. प्रतिवादी संख्या 4 अग्नेजसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 13, 18, 23, पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 2, 9, 12।

झ. प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22।

ण. प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 1/1/0.203 हैक्टर, 1/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 1/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 2/1/0.184, 2/2/0.025



- द. प्रतिवादी संख्या 7 बोड़सिह 0.394 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 11 छिन्द्रपाल कौर को 0.112 हैक्टर प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 191/309(1) किला नम्बर 14, 15/0.506 हैक्टर।
- ठ. वादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 6 प्रत्येक 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्र सिंह को 1/5 हिस्सा में प्राप्त भूमि :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 2, 9, 12,19, 22 प्रत्येक में 0.019 हैक्टर पश्चिमी सीमा पर।

वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है। इसलिए वादीगण धोषणा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण अपनी आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 2/2 मे से जगसीर सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 99/86 में से अग्रेजसिह, गुरमीतसिह, जगविन्द्रसिह, जगसीरसिह, दारासिंह, मलकीत सिंह, सरजीत कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 35/93 मे से गुरदतसिह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 36/35 में से जगसीरसिह का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 के.एस. पी. के खाता संख्या 33/35 मे से जगविन्द्रसिह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 31/2 मे से अग्रेजसिह, गुरदतसिह, गुरमीतसिह, जगविन्द्रसिह, मलकीतसिह, सरजीतकौर का नाम कलमजन करवाये जाने अनुतोष चाहा है।

वादीगण की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है। इसलिए वादीगण अपनी आराजी का खाता संयुक्त नही रखना चाहते है व वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार आराजी का खाता तकसीम करवाकर

अलग से कायम की जावे।

दिक्रगी एव  
कलमजन  
रखी



वादीगण ने प्रतिवादीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व ग्राम 2 केएसपी में निवेदन किया कि दिक्रगी  
वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर वादीगण की आराजी का खाता तकसीम करवा देवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

वादीगण का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत लिहाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

- (क) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण अपनी आराजी के खातेदार काशतकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 2/2 में से जगसीर सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 99/86 में से अग्नेजसिंह, गुरमीतसिंह, जगविन्द्रसिंह, जगसीरसिंह, दारासिंह, मलकीतसिंह, सरजीत कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 35/93 में से गुरदतसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 36/35 में से जगसीरसिंह का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 33/35 में से जगविन्द्रसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 31/2 में से अग्नेजसिंह, गुरदतसिंह; गुरमीतसिंह, जगविन्द्रसिंह, मलकीत सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन किया जावे।
- (ख) वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा की आराजी का खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।
- (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
- (घ) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बंटवारा अच्छी मन्दी व कब्जा काशत के अनुसार किया हुआ है। हम प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 ने घरू बंटवारा में अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया हुआ है। बंटवारा में आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर खाता तकसीम कर चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 2/2 में से जगसीर सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 99/86 में से अग्नेजसिंह, गुरमीतसिंह, जगविन्द्रसिंह, जगसीरसिंह, दारासिंह, मलकीतसिंह, सरजीत कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 35/93 में से गुरदतसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 36/35 में से जगसीरसिंह का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 33/35 में से जगविन्द्रसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 31/2 में से अग्नेजसिंह, गुरदतसिंह, गुरमीतसिंह, जगविन्द्रसिंह, मलकीत सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन किया जाता है तो हम



प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व हम पक्षकारान राजीनामा से पूर्णतया सहमत है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियाँ पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी, आदि पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। राजपैरोकार द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी खातेदारी भूमि है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादी के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बंटवारा किया हुआ है व वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा सहमति, खातेदारी भूमि बाबत प्रस्तुत जमाबन्दी, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद साबित है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया गया है व मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में

अधिकारी पत्र  
संपन्न  
एक कलेक्टर  
रिजि

रहे हैं। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### क्रियात्मक आदेश



वादीगण एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 83, 83 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि

(क.) वादी संख्या 1 दारासिंह को प्राप्त आराजी : - चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.048 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 22/0.048 हैक्टर उत्तरी दिशा।

- (ख.) वादी संख्या 2 खुशप्रीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दक्षिणी दिशा।
- (ग.) वादी संख्या 3 अरसनदीप सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.093 हैक्टर उतर से जगविन्द्र की भूमि के नीचे।
- (घ.) वादी संख्या 4 सोनूसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दारासिंह की भूमि उतर से नीचे।
- (ङ.) प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 केएसपी के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 189/309(65) किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25/1/0.215, 25/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता।
- (च.) प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, पत्थर नम्बर 191/311(9) किला नम्बर 16।
- (छ.) प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 केएसपी के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 22/0.240 हैक्टर (उतर-पश्चिमी कोना में 0.013 हैक्टर छोड़कर, चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 3/1/0.203, 3/2/0.025, गैर मुमकिन रास्ता, 3/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 8, 19/0.093 हैक्टर उतरी दिशा, किला नम्बर 21।
- (ज.) प्रतिवादी संख्या 4 अग्नेजसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 13, 18, 23, पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 2, 9, 12।
- (झ.) प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22।
- (ण.) प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 1/1/0.203 हैक्टर, 1/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 1/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 2/1/0.184, 2/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 2/3/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 9/0.234, 10, 11, 12/0.234।
- (ट.) प्रतिवादी संख्या 7 बोड़सिंह 0.394 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 11 छिन्द्रपाल कौर को 0.112 हैक्टर प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 191/309(1) किला नम्बर 14, 15/0.506 हैक्टर।
- (ड.) वादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 6 प्रत्येक 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्र सिंह को 1/5 हिस्सा में प्राप्त भूमि :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 2, 9, 12, 19, प्रत्येक में 0.019 हैक्टर पश्चिमी सीमा पर।

पिकानी एव  
क कलेक्टर  
रबी

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता

तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 2/2 में से जगसीर सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 99/86 में से अग्नेजसिंह, गुरमीतसिंह, जगविन्द्रसिंह, जगसीरसिंह, दारासिंह, मलकीतसिंह, सरजीत कौर का नाम कलमजन, इसी चक



कें खाता संख्या 35/93 मे से गुरदतसिह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 36/35 में से जगसीरसिह का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 33/35 मे से जगविन्द्रसिह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 31/2 मे से अग्रेजसिह, गुरदतसिह, गुरमीतसिह, जगविन्द्रसिह, मलकीत सिह, सरजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
(स्वाति गुप्ता)  
पदेन सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 018/2023

1. दारा सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. खुशप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. असरनदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सोनू सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- -वादीगण

बनाम

1. जंगसीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मलकीतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जगविन्द्रसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अग्रेज सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुरदतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गुरमीतसिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. बोड़ सिंह पुत्र जगमीतसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 8, चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मनजीत कौर उर्फ महेन्द्र कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी मखनसिंह जाति जटसिख निवासी फताखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब।
9. चरणजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयां वाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. बलजिन्द्र कौर उर्फ बेअन्त कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी जगतारसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।



11. छिन्द्रपाल कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री जगराज सिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, उतमसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

उपस्थित अभिभाषकगण :-

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता | वादीगण      |
| 2. श्री करनैल सिंह अधिवक्ता          | प्रतिवादीगण |

निर्णय

दिनांक :- 19.2.2024

वादीगण दारासिंह आदि ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 2/2 में कुल 5.692 हैक्टर संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अग्रेज सिंह का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीत सिंह का 1/5 हिस्सा व उनकी माता सरजीतकौर का 1/10 हिस्सा व चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 99/86 में कुल 1.012 हैक्टर में संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अग्रेजसिंह का 11/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीतसिंह का 11/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 बोड़सिंह का 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 छिन्द्रपाल कौर का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की माता सरजीतकौर का 1/30 हिस्सा व वादी संख्या 1 दारासिंह का 1/18 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 71/66 में प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह (मलकीयत सिंह) कुल 0.759 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 35/33 में कुल 0.127 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह ब0हि0ब0 व इसी चक के खाता संख्या 36/35 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.253 हैक्टर व चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 31/2 में कुल 0.759 हैक्टर में संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अग्रेजसिंह का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीतसिंह का 1/5 हिस्सा व उनकी माता सरजीतकौर का 1/10 हिस्सा, चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 33/35 में कुल 1.518 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 373/759 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद-पत्र है।



वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बंटवारा अच्छी मन्दी व कब्जा काश्त के अनुसार किया हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 ने घरू बंटवारा में अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया हुआ है। बंटवारा में वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुई है :-

- क. वादी संख्या 1 दारासिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.048 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 22/0.048 हैक्टर उत्तरी दिशा।
- ख. वादी संख्या 2 खुशप्रीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दक्षिणी दिशा।
- ग. वादी संख्या 3 अरसनदीप सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 19/0.093 हैक्टर उत्तर से जगविन्द्र की भूमि के नीचे।
- घ. वादी संख्या 4 सोनूसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 22/0.093 हैक्टर दारासिंह की भूमि उत्तर से नीचे।
- ङ. प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 केएसपी के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 189/309(65) किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25/1/0.215, 25/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता।
- च. प्रतिवादी संख्या 2 मलकीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, पत्थर नम्बर 191/311(9) किला नम्बर 16।
- छ. प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 189/309(66) किला नम्बर 22/0.240 हैक्टर (उत्तर-पश्चिमी कोना में 0.013 हैक्टर छोड़कर, चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 3/1/0.203, 3/2/0.025, गैर मुमकिन रास्ता, 3/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 8, 19/0.093 हैक्टर उत्तरी दिशा, किला नम्बर 21।
- ज. प्रतिवादी संख्या 4 अग्रेजसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 13, 18, 23, पत्थर नम्बर 192/311(10) किला नम्बर 2, 9, 12।
- झ. प्रतिवादी संख्या 5 गुरदतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/309(2) किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22।
- ण. प्रतिवादी संख्या 6 गुरमीतसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 1/1/0.203 हैक्टर, 1/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 1/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 2/1/0.184, 2/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 2/3/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 9/0.234, 10, 11, 12/0.234।



मुमकिन रास्ता, 1/3/0.025 गैर मुमकिन खाला, 2/1/0.184, 2/2/0.025  
हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 2/3/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 9/0.234, 10, 11,  
12/0.234।

ट. प्रतिवादी संख्या 7 बोड़सिह 0.394 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 11 छिन्द्रपाल कौर  
को 0.112 हैक्टर प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर  
191/309(1) किला नम्बर 14, 15/0.506 हैक्टर।

ठ. वादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्यां 1, 2, 4 ता 6 प्रत्येक 1/10 हिस्सा व  
प्रतिवादी संख्या 3 जगविन्द्र सिंह को 1/5 हिस्सा में प्राप्त भूमि :- चक नम्बर  
14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/310(3) किला नम्बर 2, 9, 12,19, 22  
प्रत्येक में 0.019 हैक्टर पश्चिमी सीमा पर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता  
तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता  
संख्या 2/2 मे से जगसीर सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या  
99/86 में से अग्रेजसिह, गुरमीतसिह, जगविन्द्रसिह, जगसीरसिह, दारासिंह, मलकीतसिह,  
सरजीत कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 35/93 मे से गुरदतसिह का  
नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 36/35 में से जगसीरसिह का नाम कलमजन,  
चक नम्बर 2 के.एस.पी. के खाता संख्या 33/35 मे से जगविन्द्रसिह का नाम कलमजन,  
इसी चक के खाता संख्या 31/2 मे से अग्रेजसिह, गुरदतसिह, गुरमीतसिह, जगविन्द्रसिह,  
मलकीत सिंह, सरजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त  
वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा  
नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं  
किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19.2.2024

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(हस्ताक्षर)  
उपस्थित अधिकारी एवं  
उपस्थित अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी